न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:–88 आरटीए
प्रकरण संख्या:–222/2020

1. पालाराम पुत्र मनफूलराम जाति कुम्हार निवासी गुरनानक बस्ती संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. रामसिह पुत्र मनफूलराम जाति कुम्हार निवासी वार्डनं0 09, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. मनफूलराम पुत्र फरसाराम जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण पुत्र मनफूलराम
3. इन्द्राज पुत्र मनफूलराम
4. शेराराम पुत्र मनफूलराम

(2–4) अकवाम कुम्हार निवासीयान 10 सीडीआरए कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5. शीला देवी पत्नी जीवनराम
6. सोनू पुत्र जीवनराम
7. रेखा रानी पुत्री जीवनराम

(5–7) जाति कुम्हार निवावसी वार्डनं0 22, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

8. रानी पुत्री जीवनराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति कुम्हार निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. कल्पना पुत्री जीवनराम पत्नी गौरव कुमार जाति कुम्हार निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. सन्तरो देवी पत्नी रामचन्द्र पुत्री मनफूलराम जाति कुम्हार निवासी चकां तहसील रानियां जिला सिरसा।
11. लीलादेवी पत्नी हंसराज पुत्री मनफूलराम जाति कुम्हार निवासी चकां तहसील रानियां जिला सिरसा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादीगण
श्री महावीरप्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 22.01.2021

वादीगण पालाराम आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण के पिता प्रतिवादीसं0 1 मनफूलराम के नाम से चकनं0 10 सीडीआर ए खाता सं0 62 में कुल .0090 है0 में 1/3 हिस्सा, इसी चक के खातासं0 110/14 में कुल 4.705 है0 में 28/4705, इसी चक के खाता सं0 106/104 में कुल .073 है0 में 1/2 हिस्सा, इसी चक के खाता सं0 108/103 में कुल 1.853 है0 इसी चक के खाता सं0 107 में कुल .018 है0 में 1/3 हिस्सा, इसी चक के खाता सं0 142 में कुल .050 है0 में 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीयासं0 5 के पति व प्रतिवादीगण सं0 6 ता 9 के पिता जीवनराम फौत हो चुके है, जिसके जायज कानूनी वारीसान रिकार्ड है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा क़दीम पूर्व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में प्रतिवादीगण सं0 10 व 11 ने वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 तथा हमारे भाई जीवनराम के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग कर दिया था तथा प्रतिवादीगण सं0 6 ता 9 ने अपने पिता की हिस्सा की आराजी मे से अपने अपने हिस्सा का त्याग अपनी माता प्रतिवादीया सं0 5 शीला देवी के पक्ष में कर दिया था। वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी के अनुसार भूमि वादीगण को प्राप्त हुई थी बटवारां में प्राप्त वादीगण अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आराजी वादीगण के नाम से दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 2 मे अंकित प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में वादीगण प्रत्येक 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर उपरोक्त चकों के खाता हाजो मे से प्रतिवादीसं0 1 मनफूलराम का नाम कलमजन करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीयासं0 5 के पति व प्रतिवादीगण सं0 6 ता 9 के पिता जीवनराम फौत हो चुके है, जिसके जायज व कानूनी वारीसान रिकार्ड है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादीगण व हम प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में हम प्रतिवादीगण सं0 10 व 11 ने वादीगण व हम प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 तथा हमारे भाई जीवनराम के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग कर दिया था तथा हम प्रतिवादीगण सं0 6 ता 9 ने अपने पिता की हिस्सा की आराजी मे से अपने अपने हिस्सा का त्याग अपनी माता प्रतिवादीया सं0 5 शीला देवी के पक्ष में कर दिया था। मुझ प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी बटवारां में वादीगण व प्रतिवादीगण 2 ता 5 भूमि दी हुई है। बटवारां में प्राप्त वादीगण अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है। इसलिए वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर वाद पत्र की दफा 2 मे अंकित प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में वादीगण प्रत्येक 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा आराजी के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर उपरोक्त चकों के खाता हाजो मे से प्रतिवादीसं0 1 मनफूलराम का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस मे राजीनामा हो गया है। जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। वादी द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वारिसनामा मनफूलराम व जीवनराम तथा मृत्यू प्रमाणपत्र जीवनराम, पैतृक सम्पति बाबत जमाबन्दी चक सूरेवाला खातासं0 59 जमाबन्दी संवत 2003 सन् 1946—47 की फरसाराम पुत्र चेतराम के नाम की तथा पर्चा खतौनी चक 11 सीडीआर मनफूल वगैरह के नाम की पेश की गई,जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है।वाद में आपस मे सहमति का जबाबदावा पेंश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया

गया। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है व वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है, पैतृक सम्पति बाबत जमाबन्दीयॉ पेश की गई है।वादीगण द्वारा वारिसान तस्दीक बाबत शपथ पत्र, साक्ष्य के रुप मे शपथ पत्र, आदि प्रस्तुत किये है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है। वादीगण का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा सहमति,शपथ पत्र वादीगण, वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यू प्रमाण पत्र जीवनराम, जमाबन्दी चक सूरेवाला खातासं0 54 फरसारम के नाम की तथा चक 11 सीडीआर की पर्चा खतौनी मनफूलराम वगैरह का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम से दर्ज है।पत्रावली में वादीगण द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी वगैरह प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर व प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का वाद का विरोध न करने के कारण तथा मुताबिक जबाबदावा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादीगण साबित करने में सफल रहें है। वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज चकनं0 10 सीडीआर ए खाता सं0 62 में कुल .0090 है0 में 1/3 हिस्सा, इसी चक के खातासं0 110/14 में कुल 4.705 है0 में 28/4705 हिस्सा, इसी चक के खाता सं0 106/104 में कुल .073 है0 में 1/2 हिस्सा, इसी चक के खातासं0 108/103 में कुल 1.853 है0 इसी चक के खाता सं0 107 में कुल .018 है0 में 1/3 हिस्सा, इसी चक के खाता सं0 142 में कुल .050 है0 में 1/6 हिस्सा घरू बटवारां में वादीगण प्रत्येक को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीया सं0 5 को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन किया जाकर चकनं0 10 सीडीआर ए खाता सं0 62, खातासं0 110/14, इसी चक के खाता सं0 106/104, इसी चक के खातासं0 108/103, इसी चक के खाता सं0 107, इसी चक के खाता सं0 142 मे से प्रतिवादी सं0 1 मनफूलराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:–222/2020

1. पालाराम पुत्र मनफूलराम जाति कुम्हार निवासी गुरनानक बस्ती संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. रामसिह पुत्र मनफूलराम जाति कुम्हार निवासी वार्डनं0 09, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. मनफूलराम पुत्र फरसाराम जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण पुत्र मनफूलराम
3. इन्द्राज पुत्र मनफूलराम
4. शेराराम पुत्र मनफूलराम

} अकवाम कुम्हार निवासीयान 10 सीडीआरए कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5. शीला देवी पत्नी जीवनराम
6. सोनू पुत्र जीवनराम
7. रेखा रानी पुत्री जीवनराम

} जाति कुम्हार निवावसी वार्डनं0 22, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

8. रानी पुत्री जीवनराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति कुम्हार निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. कल्पना पुत्री जीवनराम पत्नी गौरव कुमार जाति कुम्हार निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. सन्तरो देवी पत्नी रामचन्द्र पुत्री मनफूलराम जाति कुम्हार निवासी चकां तहसील रानियां जिला सिरसा।
11. लीलादेवी पत्नी हंसराज पुत्री मनफूलराम जाति कुम्हार निवासी चकां तहसील रानियां जिला सिरसा।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज चकनं0 10 सीडीआर ए खाता सं0 62 में कुल .0090 है0 में 1/3 हिस्सा, इसी चक के खातासं0 110/14 में कुल 4.705 है0 में 28/4705 हिस्सा, इसी चक के खाता सं0 106/104 में कुल .073 है0 में 1/2 हिस्सा, इसी चक के खातासं0 108/103 में कुल 1.853 है0 इसी चक के खाता सं0 107 में कुल .018 है0 में 1/3 हिस्सा, इसी चक के खाता सं0 142 में कुल .050 है0 में 1/6 हिस्सा घरू बटवारां में वादीगण प्रत्येक को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीया सं0 5 को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन किया जाकर चकनं0 10 सीडीआर ए खाता सं0 62, खातासं0 110/14, इसी चक के खाता सं0 106/104, इसी चक के खातासं0 108/103, इसी चक के खाता सं0 107, इसी चक के खाता सं0 142 मे से प्रतिवादी सं0 1 मनफूलराम का नाम कलमजन किये

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

जाने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X....निल....X....मुब्लिक..X....निल...X......बाबत्....X.........निल.....X.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..X.....अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..22..01..2021.को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) ★ टिब्बी ★